

**निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक  
कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द**

प्र0सं0 94 / 2018 / रे0वाद /

निर्णय दिनांक :- 22.08.2019

अनवान

1. श्री हरीराम मुतबना मोती जी आयु बालिग जाति भील निवासी पितामपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

—वादी

बनाम

1. श्री देवा पिता नोला जी जाति भील निवासी पितामपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. श्री डालु पिता नोला जी जाति भील निवासी पितामपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. श्री सोहन पिता दीपा जी जाति भील निवासी पितामपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. श्री मांगु पिता दीपा जी जाति भील निवासी पितामपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. श्री कालु पिता चौखा जी जाति भील निवासी पितामपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. श्री नैना पिता रूपा जी जाति भील निवासी पितामपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. श्री बाबु पिता रूपा जी जाति भील निवासी पितामपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
8. श्रीमति सोनी बेवा रूपा जी जाति भील निवासी पितामपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
9. श्री हरीराम पिता गमना जी जाति भील निवासी पितामपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब देवगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित :- 01. श्री ईन्द्रमल कंसारा वकील वादी

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित तहसीलदार देवगढ़ से बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन किया। बंटवाडा प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है। अतः बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की भूमि का बंटवाडा निम्न प्रकार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में खाते भी पृथक - पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम पितामपुरा पटवार हल्का दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित आराजी :-

ग्राम पितामपुरा

1. श्री हरीराम पिता गमना 1/6 देवा डालु पिता नोला 1/3 हिस्सा बराबर दीपा कालु पिता चौखा 1/3 नेना बाबु पिता रूपा सोनी बेवा रूपा 1/6 हिस्सा बराबर सा. देह खातेदार रहन आई.सी.आई.सी.आई बैंक लसानी कालु पिता चौखा के हिस्से व खाते :-


आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
306 मी.	1.00	खाडी 2	1.50
307 मी.	बीड 2 - 0.04 चट्टान - 0.07	0.11	0.04
योग - 2	1.11	-	1.54

2. श्री हरिराम मुतबना मोती भील सा. देह खातेदार के हिस्से व खाते :-

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
306/1	0.15	खाडी 2	1.12
307/1	0.16	चट्टान - 0.08 बीड 2 - 0.08	0.07
योग - 2	1.11	-	1.19

वादीगण वादग्रस्त कुलिया भूमि के लगान की 5 गुणा राशि के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश करने पर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावें। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

  
सहायक कलेक्टर  
देवगढ़ जिला राजसमन्द अधिकारी  
देवगढ़ जिला-राजसमन्द